भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 488

दिनांक 25 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

488. श्री अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री राजेशभाई चुड़ासमा:
डॉ. सुभाष राम राव भामरे:
डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कौन-सी विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा किए गए निवेश और इन योजनाओं/परियोजनाओं की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या जारी की गई निधि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई है उसके वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन ने किसानों के लिए कृषि उत्पादों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए सहायता की है तथा यदि हां, तो योजना की शुरूआत से योजना के माध्यम से किसानों को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितना निवेश सृजित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि उत्पाद की बर्बादी को कम करते हुए, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाते हुए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करते हुए, ग्राहकों को सस्ती कीमतों पर स्वच्छ और पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करके देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

क) मेगा खाद्य पार्क;
ख) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवृद्धि अवसंरचना;
ग) खाद्य-प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार;
घ) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना;

ड.) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन;
च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरना; और
छ) मानव संसाधन एवं संस्थान।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को अनुदान सहायता के रूप में अधिकांशत: क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है । ये स्कीमें मांग प्रेरित हैं । पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जार की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है और इसलिए निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है ।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत की गईं प्रमुख परियोजनाओं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है ।

(घ): पीएमकेएसवाई से वर्ष 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए का निवेश लेवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपए मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज के प्रबंधन, 20 लाख किसानों को लाभ पहुँचने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है ।इसीलिए, पीएमकेएसवाई ने प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ड.) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है । भारत में निर्मित और/अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में खुदरा व्यापार हेतु सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है । क्षेत्र में अप्रैल 2014 से मार्च, 2019 के दौरान 3.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी की आवक हुई है । खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 705 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के सात एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है ।

(च): देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम/किए गए उपाए हैं: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का गठन करना, खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों एवं कोल्ड चेन को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) हेतु कृषि कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत करना, अधिकांश खाद्य पदार्थों के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरें कम करना, क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों हेतु लाभ पर आयकर से 100% छूट और 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले किसान उत्पादक संगठनों को कृषि में फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभ पर आयकर से 100% छूट, परियोजना आयात लाभ स्कीम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क से छूट इत्यादि ।

*****

संलग्नक

पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के बारे में दिनांक 25.06.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.488के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत की गईं मुख्य परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोल्ड चेन	एमएफपी	यूनिट स्कीम	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर	बैकवर्ड एंव फारवर्ड लिंकेजिज	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	सभी परियोजनाओं का योग
1	अंडमान और निकोबार	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2	आंध्र प्रदेश	**21**	**3**	**0**	**1**	**1**	**3**	**29**
3	अरुणाचल प्रदेश	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
4	असम	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**5**	**11**
5	बिहार	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**
7	छत्तीसगढ़	**2**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**6**
8	दिल्ली	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**
9	गुजरात	**21**	**2**	**10**	**2**	**7**	**13**	**55**
10	हरियाणा	**11**	**2**	**12**	**5**	**1**	**15**	**46**
11	हिमाचल प्रदेश	**15**	**1**	**9**	**1**	**2**	**2**	**30**
12	जम्मू और कश्मीर	**6**	**1**	**12**	**1**	**3**	**2**	**25**
13	झारखंड	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
14	कर्नाटक	**14**	**2**	**8**	**5**	**2**	**6**	**37**
15	केरल	**8**	**2**	**4**	**1**	**2**	**2**	**19**
16	मध्य प्रदेश	**6**	**2**	**7**	**4**	**1**	**4**	**24**
17	महाराष्ट्र	**67**	**3**	**24**	**8**	**12**	**22**	**136**
18	मणिपुर	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**
19	मेघालय	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
20	मिजोरम	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**
21	नागालैंड	**2**	**1**	**4**	**0**	**0**	**1**	**8**
22	ओडिशा	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**10**
23	पुदुच्चेरी	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
24	पंजाब	**18**	**3**	**4**	**2**	**4**	**7**	**38**
25	राजस्थान	**10**	**1**	**7**	**1**	**6**	**1**	**26**
26	सिक्किम	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
27	तमिलनाडु	**11**	**0**	**17**	**0**	**9**	**13**	**50**
28	तेलंगाना	**9**	**2**	**0**	**1**	**1**	**4**	**17**
29	त्रिपुरा	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
30	उत्तर प्रदेश	**26**	**3**	**19**	**4**	**7**	**7**	**66**
31	उत्तराखंड	**25**	**2**	**5**	**1**	**2**	**2**	**37**
32	पश्चिम बंगाल	**11**	**2**	**4**	**0**	**1**	**8**	**26**
	कुल	**296**	**42**	**155**	**41**	**65**	**131**	**730**

******